Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Society
National Rural Health Mission
Swasthya Bhawan, Tilak Marg, Jaipur

No.F-12(63)NRHM/AYUSH/2011 /1343 **Date** 8/6/11

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय :– **श्रीमान् मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम की अध्यक्षता में दिनांक 19.5.11 को "आयुष मुख्यधारा" से संबंधित विषयों पर समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना सुनिश्चित करने बाबत।**

संदर्भ :– निदेशालय का पत्र क्रमांक **No.F-12(63)NRHM/AYUSH/2011/1062 Date 30.05.2011**

संदर्भान्तर्गत विषयानुसार श्रीमान् मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम की अध्यक्षता में दिनांक 19.5.11 को "आयुष मुख्यधारा" से संबंधित विषयों पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न निर्णय लिये गये है:–

1 आयुष कार्मिक (आयुष चिकित्सक एवं कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स कम्पाउंडर) की निर्धारित समय पर चिकित्सा केन्द्र पर उपस्थिति, निर्धारित गणवेश पहनना, परिचय–पत्र रखना एवं मुख्यालय पर निवास किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2 चिकित्सा केन्द्र पर आयुष सेवा का नाम, चिकित्सक की नेम प्लेट, आयुष औषधियों के नाम की सूची का बोर्ड जिसमें आयुष औषधियों के निःशुल्क वितरण करने का उल्लेख भी किया जाये।

3 संस्थागत प्रसव को बढावा देने हेतु जिन आयुष कार्मिकों को एस.बी.ए. प्रशिक्षण नहीं दिया गया है उन्हें 30 जून तक आवश्यक रूप से प्रशिक्षित किया जाए।

4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों पर पदस्थापित जिला समन्वयक आयुष का पद नाम परिवर्तित कर जिला आयुष अधिकारी (District Ayush Officer) किया जाता है।

5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत जिला समन्वयक आयुष को पृथक से कक्ष उपलब्ध करवाने एवं डी.पी.एम. यूनिट से निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है, की पालना सुनिश्चित की जाये।

6 आयुष कार्मिकों द्वारा एम.सी.एच.एन निरीक्षण, अन्य यात्राएं किये जाने पर टी.ए.,डी.ए. के भुगतान हेतु निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ 12(25) एन.आर.एच.एम./आयुष/09/5985/दिनांक 24.05.11 द्वारा बी.पी. एम. यूनिट से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था, की पालना सुनिश्चित की जाये।

7 निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ/12/8/एन.आर.एच.एम./आयुष/09/3527/दिनांक 18.08.09 द्वारा आयुष गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए अनटाइड फंड में से पृथक से 10,000 रु. स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका उपयोग आयुष चिकित्सक के सुझावों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 जिला समन्वयक आयुष, आयुष चिकित्सक, कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स कम्पाउंडर, के लिए वर्ष 2011–12 हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, की पालना सुनिश्चित की जाये।

9 आयुष से संबंधित मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री /माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री कार्यालयों से संबंधित पत्रों पर कार्रवाई तत्काल करवाई जाये।

10 एन.आर.एच.एम. द्वारा जिलों में आयुष से संबंधित आई.ई.सी. सामग्री भेजी गयी है उसे उन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरण करवाया जाये जहां आयुष चिकित्सा सेवाये संचालित है।

अतः लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर, की कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावे।

परियोजना निदेशक,
एन.आर.एच.एम.

Date

No.F-12(63)NRHM/AYUSH/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चि. स्वा. एवं प. क. विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
3. कार्यालय सहायक, परियोजना निदेशक, एन.आर.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक आयुष, एन.आर.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
5. जिला प्रमुख (समस्त जिले)।
6. जिला आयुष अधिकारी (समस्त जिले)।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि संबंधित को जरिये ई–मेल सूचित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक,
एन.आर.एच.एम.